राजस्थान में दलितो को गरिमा कब व कैसे मिलेगी ?

पी.एल.मीमरौठ

राजस्थान में पाली जिले में अभी भी सांमन्तीशाही और रूढिवादिता का बोलबाला हैं। इस जिले में दलितो की स्थिति बडी दयनीय है। सामाजिक परम्परा के नाम पर आज भी उन्हे मानवीय मूल्यों और गरिमा से वंचित रखा जाता हैं। इस क्षेत्र में दलितों व महिलाओं पर उत्पीडन व भेदभाव की घटनाए आये दिन होती रहती हैं परन्तु पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता, अवहेलना और कानूनों का कारगर ढंग से पालन ना किये जाने के कारण दलितो को न्याय, सुरक्षा व राहत नहीं मिल पा रही हैं। यद्यपि दलित अधिकार केन्द्र पिछले पन्द्रह सालों से निरन्तर यह प्रयास कर रहा हैं कि इस क्षेत्र में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता व उत्पीडन को समाप्त करने व दलितों पर होने वाले अत्याचार तथा भेदभाव को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उनमें जागरूकता व गरिमा की भावना पैदा की जावे।

अभी13 जनवरी को दलित अधिकार केन्द्र पाली कार्यालय में एक शिक्षित दलित युवती नीतू मेघवाल पुत्री श्री अमराराम मेघवाल निवासी खिंवाडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली की ओर से उसके भाई श्री लक्षमण सरयाला का लिखित शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया कि तारीख पन्द्रह जनवरी 2016 को नीतू मेघवाल का विवाह उसके गांव खुमाडा में सम्पन्न होने जा रहा हैं और इसकी यह इच्छा है कि वह अपने विवाह में बिन्दौली व तोरण की रस्मो घोडी बैन्ड बाजो के साथ सम्पन्न करवाना चाहती हैं क्योंकि उसके गांव में सामन्तशाही व घृणित वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों को शादी विवाहो में बिन्दोली व तोरण की रस्म घोडी व बैन्ड बाजो के साथ पूरी करना वर्जित हैं।कुमारी नीतू बी.ए. पास हैं और फिलहाल सी.आर.पी. एफ. बंगलुर हवाई अडडे पर कार्यरत हैं। पर वह इस परम्परा को तोडने के लिए अपनी शादी गांव में ही सम्पन्न कराना चाहती हैं।

स्मरण रहे, राजस्थान के भीलवाडा, पाली, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर आदि कई क्षेत्रो में अभी भी दलितों को पुरानी सामाजिक रूढिवादी व सामन्ती परम्परा के कारण दलित शादियो में घोडी बैन्डबाजो का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीतू के भाई लक्षमण सरयाला ने इसी आशय का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर तथा श्री पी.एल. पूनिया अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग को भी भेजा था।

दलित अधिकार केन्द्र पाली को ज्योंही यह शिकायती पत्र प्राप्त हुआ उसके तुरन्त बाद जिला समन्वयक श्री महावीर सिंह भाटी एडवोकेट ने जिला कलेक्टर श्री कुमार पाल गौतम, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भार्गव से सम्पर्क कर लिखित रूप से अनुरोध किया कि प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही कर नीतू मेघवाल की इच्छा को पूरी करने की कार्यवाही की जाये। इस पर जिला प्रशासन ने ए.डी.एम., एस.डी.एम., सुमेरपुर डी.एस.पी. को आदेश दिया कि दुल्हन नीतू मेघवाल व दूल्हा प्रवीण मेघवाल को शादी के दिन बैन्डबाजों के साथ घोडी पर बिठाकर

तोरण की रस्म पूरी की जाये। इसके अलावा श्री पी.एल.पुनिया अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस बात का संज्ञान लेकर कडी कार्यवाही करने का आदेश दिया। इस पर सुमेरपुर के डी.एस.पी. अमर सिंह चम्पावत, उपखण्ड अधिकारी महीपाल भारद्वाज, तहसीलदार विमलेन्द्र राणावत, थाना अधिकारी अमराराम मीणा को खिवाडा गांव में डेरा डालना पडा।

शादी का मुर्हूत पन्द्रह जनवरी को था परन्तु इस पूरी घटना का मीडिया ने कई दिन तक प्रचार किया जिसके कारण क्षेत्र की दलित विरोधी शक्तियां चौकन्ना होकर एकजुट हो गई और इस बात का उपाय ढूंढने लगी जिससे कि नीतू मेघवाल की शादी में घोडी व बैन्डबाजो का प्रयोग न हो पाए। यद्यपि श्री पी.एल. पूनिया, कलेक्टर पाली पुलिस अधीक्षक पाली इस बात के पूरी तरह पक्षधर थे कि इस क्षेत्र में रूढिवादी और सामन्त शाही परम्परा को हर हालत में तोडा जाये और दलितों को संवैधानिक अधिकार दिलाकर गरिमा प्रदान की जाये। परन्तु निचले स्तर के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सामन्तशाही प्रवृति के लोगों के साथ मिल गये और उच्चस्तरीय अधिकारियों की मंशा को विफल करने में जुट गये। पता चला है कि पूरे दो दिन तक स्थानीय सामन्तों व दंबगों ने पुलिस के सहयोग से कुमारी नीतू मेघवाल, उसके पिता अमराराम व माता, और भाईयों पर खुब दबाब डाला और कहा कि वे लिखकर दे दे कि उन्होने पुलिस को कोई शिकायत नही की हैं तथा वो यह नही चाहते कि गांव में इस वजह से आपसी भाईचारा समरसता व सद्भाव में खलल पडे। इसके साथ ही शादी से दो दिन पहले नीतू मेघवाल के पूरे परिवार पर दबाब बनाकर सांडेराव थाने की ओर से यह लिखवाया गया कि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नही हैं इसलिए उन्हे पुलिस की कोई सुरक्षा नही चाहिए।

नीतू मेघवाल के दूल्हे प्रवीण भारद्वाज व उसके परिवारजनों पर भी भारी दबाब डाला गया और उन्होंने भी कहा कि वह बिना किसी बैन्डबाजों व घोडी के विवाह की रस्में पूरी करेगे। इसके अलावा पूरे क्षेत्र के मेघवालों को भी पुलिस व सामन्तों ने निरन्तर आंतकित कर यह दबाब डाला कि वे बिना घोडी व बैन्डबाजों के शादी की रस्मों को करने के लिए नीतू मेघवाल के परिवार पर दबाब डालें और तो और नीतू मेघवाल के भाई चम्पालाल ने भी पुलिस प्रशासन को कहा कि उसका परिवार नही चाहता कि शादी के दिन दूल्हा घोडी पर बैठकर बिन्दोली निकाले। बिन्दोली गांव में एक ऐसी रस्म है कि दूल्हा घोडी पर बैठकर गांवो के मुख्य मार्गो का चक्कर लगाता है। उसने भी दबाब में आकर कहा कि हम पुरानी परम्परा को निभायेगे जिसमें मेघवालों का घोडी व बैन्डबाजो का प्रयोग वर्जित हैं।

मजे कि बात यह है कि तमाम जनता व कार्यकर्ताओ से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी विशेष कर साण्डेराव के एस.एच ओ. अमरलाल मीणा आखिर तक यह कहते रहे कि यदि नीतू के परिवार वाले चाहेगे कि दूल्हा घोडी पर बैठकर तोरण मारेगा वे उसके लिए पूरी व्यवस्था करेगे। परन्तु वास्तव में यह झूंठा व खोखला वादा था। नाम के लिए दो दिन तक खिंवाडा गांव में पुलिस जाप्ता तैनात रहा तथा शादी की रस्म पूरी होने तक पुलिस प्रशासन, अधिकारी मौजूद रहे। शादी के दिन सुमेरपुर एसडीएम महिपाल भारद्वाज, तहसीलदार विमलेन्द्र सिंह

राणावत, डीएसपी अमरसिंह चम्पावत, साण्डेराव एस.एच.ओं अमराराम मीणा व भू–निरीक्षक मूलसिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। पुराने सामाजिक रीति–रिवाज को ध्यान में रखते हुये दुल्हन नीतू मेघवाल, दुल्हा प्रवीण मेघवाल बिना बैण्ड बाजों व घोडी के विवाह स्थाल पर पहुंचे वहां पर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण की रस्म के बाद दोनों का विवाह किया गया।

इस बीच तोरण की रस्म के बाद प्रशासन द्वारा ऐन वक्त पर घोडी मंगाने पर उदयपुर, भरतपुर, झून्झूनु, जयपुर और कोटा से आय मेघवाल समाज के लोगों व कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध करते हुये रोष जताया और साथ ही उन्होने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रशासन के इस रवैये की निन्दा की। समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन मामले को लेकर दबाव में नजर आया। दलितों को दबाब में डालकर उन्हें गरिमा से वचिंत करने के लिए गांव का सामन्ती परिवार इस दृढ संकल्प है कि येन केन प्रकारेण शादी में बैन्डबाजो का उपयोग नही हो सके। इस मामले को लेकर खिवाडा ग्राम पंचायत के उपसंरपच महेन्द्र सिंह (राजपूत) का कहना था कि वे बिन्दौली से लेकर शादी की तक की रस्म पूरी होने तक मौजूद थे। दूल्हन की बिन्दौली व दूल्हे की तोरण रस्म घोडी पर करवाने के लिए काफी प्रयास किये गये हैं परन्तु दूल्हा दुल्हन दोनो राजी नही हुए। उनका यह कथन भी झूठा था कि गावों में पूर्व में दलित परिवारो के विवाह समारोह में घोडी व बैन्डबाजो के साथ बिन्दौली गई हैं। श्री महेन्द्र सिंह राणावत उसके भाई पहले खिंवाडा गांव जागीरदार और सामन्त थे और उनका सामन्ती दबदबा आज भी बरकरार हैं। क्षेत्र का कोई दलित उनके सामने गरिमा की बात नही कर सकता हैं।

इसी तरह श्री विमलेन्द्र सिंह राणावत जो कि (राजपूत) तहसीलदार सुमेरपुर का कहना था कि घटना के दौरान प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबन्द रहा। प्रशासन द्वारा घोडी की व्यवस्था की गई। परिवार वालों ने घोडी पर बैठने से मना कर दिया। मेघवाल समाज भी घोडी को बाबा रामदेव की सवारी मानते है इसलिए नही बैठते हैं। प्रशासन किसी को जबरन घोडी पर नही बिठा सकता है। तहसीलदार का बयान सारहीन व झूठा हैं और प्रशासन के दबाब डालने पर पीडितों ने लिख कर दिया हैं।

इस घटना के संबंध में श्री अमरचन्द चम्पावत डी.वाई.एस.पी. की भुमिका भी कानून संम्मत नहीं थी। इन्होने भी मामले की लीपापोती कर रफादफा करने की कोशिश की। यदि वास्तव में इस मामले में संवेदनशील होकर नीतू मेघवाल और इसके दूल्हे को गरिमा दिलवाना चाहते तो विरोघ करने वाले तत्वों को चिंन्हित कर सी.आर. पी. सी. धारा 151 अर्न्तगत हिरासत में लिया जा सकता था। समय पर घोडी बैन्डबाजा मंगवाकर समय पर शादी की रस्में पूरी की जा सकती थी। परन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया और जानबूझ कर घोडी देर से मंगवाई। प्रशासन इस मामले को लेकर दवाब में था और मेघवाल समाज के लोग, उनके संगठनो के पदाधिकारियों ने घोडी को देर से मंगाने का विरोघ और रोष प्रकट किया। इन लोगो ने नारे बाजी कर प्रशासन के रवैये की निन्दा कर आरोप लगाया कि प्रशासन खुद इस मामले में दवाब में था।

दलित अधिकार केन्द्र इस बात के लिए नीतू मेघवाल के संरक्षक भाई लक्षमण सरयाला व नीतू की हिम्मत की दाद देते हैं। इन्होने आजादी के बाद भी रूढिगत और सामन्तशाही प्रथाओं को तोडनें के मामले में आवाज उठाई। अब स्थानीय पुलिस, प्रशासन व स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण को उजागर करने और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लक्ष्मण सरयाला को दोष दे रहे हैं जब कि लक्ष्मण का कथन है कि वह और नीतू मेघवाल पाली में पढें और इस बात से परिचित हैं कि क्षेत्र में सामन्ती व दलित विरोधी प्रवृति के लोग इस बात को सहन नहीं करेगे कि एक दलित दुल्हा घोडी पर बैठकर जाये या तोरण मारे।

मैं स्वंय इस घटना के बाद खिमाडा ग्रांम में गया और पुलिस, प्रशासन, गांव के निवासियों तथा पीडित पक्ष से इस प्रकरण की पूरी जानकारी ली। स्थानीय लोगों का कहना था कि लक्ष्मण सरयाल ने छोटी सी घटना को बात का बंतगड बना दिया और क्षेत्र में सामाजिक समरसता व सद्भाव को नुकसान पहुंचाया हैं। क्या दलितो को गरिमा व आत्म सम्मान से वंचित कर सामाजिक समरस्ता व सद्भाव बनाया जा सकता हैं ? इस घटना से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि पाली जिले के सामन्तशाही इलाके में संवैधानिक अधिकार उनके लिए बेमाने हैं। विशेष कानून जैसे (एससी.एसटी. अत्याचार निवारण कानून) उनके लिए चलाई जा रही आर्थिक विकास की योजनाए कागजों तक सीमित हैं। उनको लागू करने वाले अधिकारी व कर्मचारी जातिगत द्वैषता से उनको उनका लाभ नही पहुंचा रहे हैं।

दलित दुल्हों को घोडी पर न बैठने देने के मामले प्रदेश के सामन्ती प्रभाव वाले क्षेत्रों में विरोध किया जाता हैं। यह दलितो के लिए गरिमा व स्वाभिमान कि बात हैं इस संबध में 1999 में अलवर जिले के अडोली गांव में दलित को घोडी पर बैठकर गांव के मुख्य बाजार से बारात आने पर स्थानीय तथा कथित दंबग जातियों ने पंचायत कर सख्त विरोध किया कि किसी भी कीमत पर चमार दुल्हे को घोडी पर बैठकर तोरण नही मारने देगे भले ही उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पडे। स्थानीय दंबग जातियों का तीव्र विरोध होने पर इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य के उच्च अधिकारीयों तक पहुंचाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और उनपर निदेशानुसार 9.6.1999 तारीख को दलित दूल्हे को घोडी पर बैठकर तोरण मारने की सभी व्यवस्था की गई। जिसमें प्रमुख कदम यह था कि क्षेत्र के सभी शरारती तत्वो को चिंन्हित कर उन्हे एक दिन पहले पुलिस हिरासत में लिया गया,। घटना स्थल पर मेडीकल वैन व एम्बुलेन्स, फायर बिग्रेड, पर्याप्त महिला पुलिस व सशस्त्र पुलिस बल को बुलाया गया। इतना ही नही पुलिस प्रशासन ने गांव की तलहटी में तोप गोलो का भी इन्तजाम किया। वातावरण इतना संवेदनशील और दहशत भरा हो गया था कि दलित दूल्हे के पिता ने दूल्हे को घोडी पर बिठाने से इन्कार कर दिया। बैन्डबाजे वाले गायब हो गये। ऐसी परिस्थिति में ततकालीन डी.एस.पी. डॉ. रामदेव सिंह द्वारा स्वंय बैन्डबाजो व घोडी की प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई गई। तत्कालीन कलेक्टर अलवर श्री बी.एन.शर्मा, एस.पी. श्री लियाकत अली खान चार दिन तक लगातार ग्रांम अडौली ग्रांम में डेरा डाले रहे तब जाकर व दलित दूल्हे को घोडी पर बिठाने में सफल हो सके।

इस छोटी सी घटना को अंन्जाम देने के लिए सरकार व प्रशासन का कितने संसाधनों व समय का दुरूपयोग हुआ। क्या सब समाज और सामाजिक समरसता पैदा करने वाले लोग व संगठन इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेग? इस दलित विरोधी मानसिकता को बदलने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता हैं। राजस्थान में हर साल दलित दूल्हो को घोडी से उतारने की सैकडो घटनाऐं होती हैं परन्तु पुलिस व प्रशासन राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही नही करती अपितु पीडितों के उपर दवाब डालकर या समझाइस के नाम पर रफा दफा कर देते हैं। इसी तरह का एक मामला 2003 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा के चुनाव क्षेत्र बरथला गांव में हुआ था जिसमे दो दलित दूल्हो की बारात घोडी पर चढकर गांव के राजपूत सामन्त के घर के सामने से गुजर रही थी तो सामन्तों और उनके गुर्गो ने दूल्हो को खीचकर घोडी से नीचे पटक दिया और बारातियो और दूल्हो की पिटाई की।

मैं स्वंय अपने साथियो सहित घटना स्थल पर पहुंचा और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कि और उस घटना को सही बताया। दोनो घोडियों के मालिक से पता किया तो उसने भी इस घटना की पुष्ठि की। उसका विडियो भी कराया गया । इस घटना की एफ.आई.आर दर्ज करायी गई परन्तु जांच के दौरान उच्चस्तरीय राजनैतिक दखल के कारण पूरे मामले को झुठा करार दिया गया।

पिछले तीन वर्षो में दलित अधिकार केन्द्र के पास 45 मामले आये हैं जिनमे दलित दूल्हों घोडी पर चढनें से मना किया गया हैं या फिर जिन्होनें घोडी पर चढनें का दुःसाहस किया उन्हें अपमानित व प्रताडित किया गया हैं। इनमें से अधिकतर मामलो में दलित अधिकार केन्द्र ने सामाजिक हस्तक्षेप किया हैं। परन्तु यह अनुभव में आया हैं कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इन मामलो में सामाजिक परम्पराओ की दुहाई देकर समझाईश के नाम पर मामलो को दबाया गया हैं। सामान्यत पुलिस प्रशासन क्षैत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कार्यवाही करती हैं न कि दलितो का सवैघांनिक अधिकार गरिमा से वंचित करने वाले उत्पीडन व अत्याचार करने वालो खिलाफ कानून सम्मत कार्यवाही करती हैं। पिछल 15 साल के अनुभव में यह तथ्य सामने आया हैं कि राजस्थान में कुछ भागो में दलित दूल्हों को घोडी पर न बैठने की घटनाऐं खूब घटती हैं, कई मामलो में एफ.आई.आर. दर्ज होती हैं परन्तु सिवाय एक प्रकरण को छोडकर आज तक एक भी आरोपी को सजा नही मिल पायी हैं। दौसा जिला अर्न्तगत बांदीकुई क्षैत्र के केसरी सिंह पुरा गांव के राजपूतो ने मई 2005 में दलित दूल्हे को घोडी से उतारकर अपमानित किया था जिसमे एफ.आई.आर. दर्ज होकर दलित अधिकार केन्द्र के प्रयास से कोर्ट में चालान पेश हुआ और बांदीकुई कोर्ट ने तीन राजपूत आरोपियों तीन–तीन वर्ष की सजा सुनाई थी।

देश को आजाद हुऐ 68 साल के बाद भी आज दलित समुदाय के लोगो को स्वाभिमान व गरिमा से वंचित किया जा रहा हैं। क्या तथा कथित सभ्य समाज, सरकार व संवैधानिक

मुलभूत अधिकारो को लागू कराने वाली संस्थाए इस दिशा विचार कर कोई कारगर अभियान चलायेगी ?

(पी. एल. मीमरौठ)
एडवोकेट
मों. नं. 9351317611